राजस्थान उच्च न्यायालय,जोधपुर

एस. बी. सिविल रिट याचिका सं. 16610/2023

1. कनिका सिखवाल पुत्री सत्यनारायण, उम्र लगभग 29 वर्ष साल, निवासी सिखवालों की गली, तहसील-मेड़ता सिटी, जिला-नागौर.

2. शायना बानो पुत्री श्री रफीक मोहम्मद, उम्र लगभग 36 वर्ष, निवासी इमाम बाड़ा के पास, वार्ड क्रमांक 04, किशनगढ़, जिला-अजमेर।

3. निशा सुथार पुत्री श्री अर्जुन लाल सुथार, उम्र लगभग 27 वर्ष साल, निवासी मकान नंबर 201, अग्रसेन भवन के पीछे, निकट चर्च, आज़ाद नगर, जिला-भीलवाड़ा।

4. उषा कुमारी सुथार पुत्री श्री भेरू लाल सुथार, उम्र लगभग 29 वर्ष, निवासी ग्राम भीमगढ़, तहसील-रश्मि, जिला-चित्तौड़गढ़.

5. पारस कुमारी गेहलोत पुत्री श्री किरण सिंह, उम्र लगभग 33 वर्ष, निवासी केरिया, तहसील-मांडल, जिला-भीलवाड़ा।

6. सीता दायरू पुत्री श्री जगदीश प्रसाद दायरू, उम्र लगभग 25 वर्ष, निवासी प्लॉट नंबर 42, महादेव नगर सेकेंड, हाथोल कलवार रोड, जिला-जयपुर।

7. संध्या यादवेन्दु पुत्री श्री लेखराज यादवेन्दु, उम्र लगभग 35 वर्ष, निवासी ग्राम व पोस्ट गोलाना, तहसील- खानपुर, जिला-झालावाड़।

8. पूर्णिमा कंवर चौहान पुत्री श्री पृथ्वी सिंह चौहान, उम्र लगभग 33 वर्ष, निवासी पोस्ट ऑफिस के पास, जैतारण, जिला-पाली।

9. नंदू कुमारी सोनी पुत्री श्री तारा चंद सोनी, उम्र लगभग 39 वर्ष, निवासी खोजा बावरी के सामने, सिंधी कॉलोनी, जिला-टोंक।

10. बबीता कुमारी पुत्री श्री राजेंद्र सिंह, उम्र लगभग 37 वर्ष, निवासी पिलोयन की ढाहर, गांव-तारपुरा, पोस्ट- तारपुरा, तहसील-पिपरली, जिला-सीकर।

11. शिमला कुमारी लौहार पुत्री श्री गोपाल लाल लौहार, उम्र लगभग 34 वर्ष, निवासी चोसला कॉलोनी, सावर अजमेर, जिला-अजमेर.

12. पूनम चायल पुत्री श्री भागा राम, उम्र लगभग 32 वर्ष, निवासी गोरखनाथ गौशाला के पास, वार्ड नंबर 3, रावतसर, जिला-हनुमानगढ़।

13. उषा कुमारी पुत्री श्री गोकुल सिंह, उम्र लगभग 35 वर्ष साल, निवासी वार्ड नंबर 3, चक 25 किड पो 61 हेड खाजूवाला, जिला-बीकानेर।

14. शाहीन बानो सोरगर पुत्री श्री गुलाम राशुल सोरगर, उम्र लगभग 26 वर्ष, निवासी जहाजपुर रोड, कोटड़ी, जिला भीलवाड़ा.

15. कांता तेली पुत्री श्री श्रवण लाल तेली, उम्र लगभग 21 वर्ष, निवासी कालियास, तहसील-आसींद, जिला-भीलवाड़ा।

16. नीतू सिंह राजपूत पुत्री श्री इंदर सिंह राजपूत, उम्र लगभग 33 वर्ष, निवासी हॉस्पिटल रोड, महुआ, जिला- दौसा।

17. संजू भाटी पुत्री श्री रतन सिंह भाटी, उम्र लगभग 30 साल, निवासी सरपंच मौहल्ला, बनियाना, जिला-दौसा।

18. अंजना भाटी पुत्री श्री रतन सिंह भाटी, उम्र लगभग 31 वर्ष, निवासी सरपंच मोहल्ला, बनियाना, जिला-दौसा।

19. ललिता देवी स्वामी पुत्री श्री सुवा लाल स्वामी, उम्र लगभग 37 वर्ष, निवासी जानकी विहार कॉलोनी, फुलेरा रोड, जिला-जयपुर।

20. रिंकू देवी पुत्री श्री नोरत मल, उम्र लगभग 28 वर्ष, निवासी/ग्राम-लोरडी, पोस्ट-दौलतपुर-प्रथम,तहसील-बिजयनगर, जिला-अजमेर।।

21. समता शर्मा पुत्री श्री राधे श्याम शर्मा, उम्र लगभग 28 वर्ष, निवासी 05, कुम्हारों का मौहल्ला, कालियास, जिला-भीलवाड़ा।

22. विनीता पुत्री श्री जगदीश गुप्ता, उम्र लगभग 28 वर्ष, निवासी/वार्ड नंबर 16, मौहल्ला काजीवाड़ा तिजारा, जिला-अलवर।

23. सुनीता कुमारी पुत्री श्री अमर सिंह, उम्र लगभग 32 वर्ष, निवासी गायत्री कॉलोनी, रेलवे लाइन के पास, वार्ड नं. 13, नदबई, जिला-भरतपुर।

24. तारा कुमावत पुत्री श्री रामनिवास कुमावत, उम्र लगभग 31 वर्ष, निवासी मिंडा, जिला-नागौर।

25. रेहाना सुल्ताना पुत्री श्री बाबू खान रंगरेज, उम्र लगभग 31 वर्ष, निवासी गली नंबर 5, देहली गेट, छीपा मौहल्ला, जिला चित्तौड़गढ़।

26. योगिता कुमारी पुत्री श्री भगवती प्रसाद, उम्र लगभग 31 वर्ष, निवासी 272 वीपीओ नोवी, तहसील-सुमेरपुर, जिला-पाली।

27. पिंकी गर्ग पुत्री श्री जगमोहन गर्ग, उम्र लगभग 35 वर्ष, निवासी 1-टी-, कृष्णा नगर, हाउसिंग बोर्ड, जिला भरतपुर----याचिकाकर्ता।

बनाम

1. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा के माध्यम से ,राजस्थान राज्य, राजस्थान सरकार, बीकानेर।

2. सचिव, कर्मचारी चयन बोर्ड, दुर्गापुरा, जयपुर----प्रतिवादी।

याचिकाकर्ता(ओं) के लिए:- श्री जय किशन रांकावत।

प्रतिवादी(ओं) के लिए:- श्री विनीत सनाढ्य के लिए श्री प्रियांशु गोपा।

श्री दीपक चांडक, एजीसी।

माननीय जस्टिस श्री अरुण मोंगा

आदेश

08/02/2024

1. याचिकाकर्ता यहाँ प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा घोषित अंतिम परिणाम दिनांक 31.08.2023 को चुनौती देते हैं। शुरू में कट-ऑफ को पार करने वाले उनके अंकों के आधार पर दस्तावेज़ सत्यापन के लिए बुलाया गया था, बाद में उनके अंक संशोधित कट-ऑफ से कम होने के आधार पर उन्हें अंतिम परिणाम से बाहर कर दिया गया था।

2. प्रासंगिक तथ्यों को स्पष्ट रूप से संक्षेप में प्रस्तुत करना, जिसमें बाहरी विवरण शामिल नहीं हैंः उत्तरदाता संख्या 2 ने प्राथमिक शिक्षक (सामान्य) स्तर-। के पद के लिए आवेदन आमंत्रित करते हुए दिनांक 16.12.2022 पर एक विज्ञापन जारी किया। 21, 000 विज्ञापित पदों में से 17,563 गैर-टी. एस. पी. क्षेत्र के लिए सामान्य श्रेणी में प्राथमिक शिक्षकों के लिए आवंटित किए गए थे, जिस श्रेणी से याचिकाकर्ता संबंधित हैं। विज्ञापन के उपखंड-5 के अनुसार, 2 प्रतिशत पद तलाकशुदा श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित थे।

यदि पर्याप्त संख्या में विधवा श्रेणी के उम्मीदवार उपलब्ध नहीं थे, तो शेष रिक्तियों को तलाकशुदा श्रेणी के उम्मीदवारों द्वारा भरा जाएगा। याचिकाकर्ताओं ने पात्रता मानदंडों को पूरा करते हुए गैर-टी. एस. पी. क्षेत्र के लिए तलाकशुदा श्रेणी के तहत अपने आवेदन जमा किए।

2.2. 26.05.2023 को परिणाम घोषित किए गए। कट-ऑफ की तुलना में काफी अधिक अंक प्राप्त करने वाले याचिकाकर्ताओं को दस्तावेज़ सत्यापन के लिए बुलाया गया था। हालाँकि, 31.08.2023 को घोषित अंतिम परिणाम में, उनके नाम स्पष्ट रूप से अनुपस्थित थे, जिसके लिए बाद में OBC तलाकशुदा श्रेणी के लिए कट-ऑफ में 150.5214 और EWS तलाकशुदा श्रेणी के लिए 146.0726 की वृद्धि को जिम्मेदार ठहराया गया।

2.3. 04.08.2023 को, कुछ याचिकाकर्ताओं ने इस मामले के संबंध में प्रतिवादी संख्या 1 से संपर्क किया। हालाँकि, बाद में उन्हें पता चला कि प्रतिवादी संख्या 2 ने पहले ही प्रतिवादी संख्या 1 को चयनित उम्मीदवारों के नामों की सिफारिश कर दी थी, जिससे वर्तमान याचिका दायर की गई थी। 3. उपरोक्त तथ्यात्मक पृष्ठभूमि से, विवाद का सार एक संक्षिप्त प्रश्न के इर्द-गिर्द घूमता हैः क्या, विधवा श्रेणी में उम्मीदवारों की अपर्याप्त संख्या की स्थिति में, एक तलाकशुदा को अपनी श्रेणी को विधवा में बदलने की अनुमति दी जा सकती है, और इसके विपरीत?

4. दोनों विद्वान वकीलों द्वारा प्रस्तुत तर्कों को सुनने के बाद और मामले की फाइल के अवलोकन पर उपरोक्त प्रश्न का उत्तर सकारात्मक प्रतीत होता है। आइये देखते हैं कैसे।

5. शुरुआत में याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने इसी तरह के एक मामले में मेरे पहले के फैसले में निर्धारित एक मिसाल का हवाला दिया है अर्थात एस. बी. सिविल रिट याचिका संख्या 15924/2023, निखत अमीन बनाम राजस्थान राज्य और अन्य, 15.01.2024 को यह कहते हुए निर्णय लिया गया कि इसमें याचिकाकर्ताओं का मामला पूरी तरह से शामिल है।

6. इसके विपरीत, उत्तरदाताओं के विद्वान वकील का तर्क है कि उपरोक्त निर्णय को हाथ में मामले में लागू नहीं किया जा सकता है, क्योंकि विभाग अभी भी इसकी प्रयोज्यता पर विचार-विमर्श कर रहा है और इसे चुनौती देने का इरादा रखता है।

7. जो भी हो, ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ताओं का मामला वास्तव में उपरोक्त निर्णय में व्यक्त किए गए मेरे विचारों से आच्छादित है, जिसका प्रासंगिक हिस्सा, उपयुक्त होने के कारण, नीचे दिया गया हैः- "5. यह स्पष्ट होता है कि इसमें उठाया गया विवाद एक बहुत ही संकीर्ण दिशा में निहित है, अर्थात, (क) क्या तलाकशुदा और/या विधवा की श्रेणी में विज्ञापित पद या तो पर्याप्त संख्या में तलाकशुदा उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में विनिमेय हैं या इसके विपरीत, यदि पर्याप्त संख्या में विधवाएं उपलब्ध नहीं हैं? (बी) यदि उपरोक्त का उत्तर सकारात्मक है, तो क्या एक उम्मीदवार जो दूसरी श्रेणी का लाभ चाहता है, उस श्रेणी में कम योग्यता सूची का लाभ उठा सकता है, इसके बावजूद कि उसने अपनी मूल श्रेणी में कट नहीं किया है? जहां तक उपरोक्त पहले प्रश्न का संबंध है, दोनों विद्वान वकील इस बात से सहमत हैं कि विधवा या तलाकशुदा श्रेणी में

उपयुक्त उम्मीदवारों की अनुपलब्धता के मामले में, विज्ञापन के खंड 5 के अनुसार विधवा और तलाकशुदा के बीच श्रेणी का आदान-प्रदान करने की बहुत अनुमति है। उस हद तक, चूंकि आम सहमति है, इसलिए विवाद का फैसला किया जाता है।

7. दूसरे प्रश्न पर ध्यान देने से पहले, यह ध्यान देना उचित है कि मेरे विद्वान भाई अरुण भंसाली, जे., जिनकी अध्यक्षता में इस मामले पर पहले विचार किया गया था, की अध्यक्षता में इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ ने निम्नलिखित आदेश पारित किया जो 02.11.2023 दिनांकित है जिसे निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया हैः - "उत्तरदाताओं के वकील समय के लिए प्रार्थना करते हैं कि एक बार विधवा के लिए 14 पदों और तलाकशुदा के लिए 1 पद का विज्ञापन दिए जाने के बाद, विधवा श्रेणी में केवल 11 उम्मीदवारों को नियुक्ति दी गई है और बाकी पदों को अभी तक खाली रखा गया है, जिसे नियमों के प्रावधानों के संदर्भ में तलाकशुदा उम्मीदवारों द्वारा भरा जा सकता है और जिस स्थिति में, उक्त तीन पदों को तलाकशुदा उम्मीदवारों द्वारा भरा जाता है, क्या याचिकाकर्ता उस श्रेणी में योग्यता में खड़ा होगा। 2. याचिका को 06.11.2023 पर सूचीबद्ध करें।"

8. इस न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश के अनुरूप यह स्पष्ट होता है कि वास्तव में विधवा श्रेणी में पद खाली पड़े हैं। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि यह 2 या 3 पद हैं या नहीं। जहां एक ओर याचिकाकर्ता के विद्वान वकील का कहना है कि 3 पद खाली पड़े हैं, वहीं दूसरी ओर उत्तरदाताओं के विद्वान वकील का कहना है कि उनके निर्देशों के अनुसार केवल 2 पद खाली पड़े हैं।

9. जो भी हो, उपरोक्त दूसरे प्रश्न पर लौटते हुए, एक बार विज्ञापित खंड 5 के अनुसार श्रेणियों के विनिमेय होने के बाद, भर्ती एजेंसी की ओर से यह अनिवार्य है कि, उनके द्वारा रखी गई योग्यता सूची के अधीन, अगले योग्य उम्मीदवार, चाहे वह विधवा या तलाकशुदा श्रेणी से हो, को तब तक पद की पेशकश की जानी चाहिए जब तक कि सभी पद समाप्त नहीं हो जाते। दूसरे शब्दों में, केवल उस स्थिति में, जब कोई उम्मीदवार या तो पात्र नहीं है और/या मेधावी नहीं है, उस श्रेणी के कट-ऑफ अंकों से नीचे है जिसमें उसे उस श्रेणी में पर्याप्त उम्मीदवारों की अनुपलब्धता के कारण स्थानांतरित किया जा रहा है, तो उसे अपनी श्रेणी बदलकर समायोजित करने के उसके दावे को अस्वीकार किया जा सकता है।

10. वर्तमान मामले में इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि याचिकाकर्ता को विधवा श्रेणी में अंतिम चयनित उम्मीदवार की तुलना में अधिक अंक, यानी 197, मिले हैं, जिसने 110 अंक प्राप्त किए हैं। उस हद तक, उनकी योग्यता विवाद में नहीं है। एकमात्र विवाद यह है कि क्या उसे विधवा की श्रेणी में माना जा सकता है, जिसने तलाकशुदा श्रेणी में कट-ऑफ से कम अंक प्राप्त किए हैं, जो कि 203 बताए गए हैं।

11. ऊपर की मेरी चर्चा को देखते हुए, यह स्पष्ट हो जाता है कि एक बार जब तलाकशुदा की श्रेणी को खाली पद का लाभ देकर विधवा में स्थानांतरित करना पड़ता है, तो उसकी योग्यता पर विधवा श्रेणी में कट-ऑफ अंकों के अनुसार विचार किया जाना चाहिए। मैं यहां यह जोड़ना चाहूंगा कि इसके परिणामस्वरूप एक असंगत स्थिति पैदा हो

सकती है जहां विधवाओं ने याचिकाकर्ता की तुलना में कम अंक प्राप्त किए हों, लेकिन चूंकि उन्होंने अपनी श्रेणी में प्रतिस्पर्धा की है, इसलिए उन्हें जूनियर माना जा सकता है क्योंकि तलाकशुदा श्रेणी में कट-ऑफ अंक बहुत अधिक हैं, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है। इसलिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि विभाग तलाकशुदा और विधवाओं के लिए अलग-अलग वरिष्ठता सूची बना रहा है, तो तलाकशुदा जिसे विधवा की श्रेणी में कम कट-ऑफ अंकों का लाभ दिया गया है, उसे विधवाओं की वरिष्ठता सूची में सबसे नीचे रखा जाएगा।

12. इस स्तर पर, अदालत के एक प्रश्न पर, प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 की ओर से पेश हुए श्री पंकज शर्मा, ए. ए. जी. ने कहा कि विधवाओं और तलाकशुदा दोनों श्रेणियों के लिए नियुक्ति के बाद एक सामान्य वरिष्ठता सूची बनाई जा रही है। इसलिए, यदि याचिकाकर्ता, जो तलाकशुदा श्रेणी से है, को विधवा श्रेणी में नियुक्ति का लाभ दिया जाता है, तो विधवाओं के लिए कोई पूर्वाग्रह पैदा नहीं होगा।

13. एक परिणाम के रूप में, रिट याचिका को प्रतिवादियों को विधवा श्रेणी में उनकी उम्मीदवारी पर विचार करने के निर्देश के साथ अनुमति दी जाती है, बशर्ते कि यह उनकी योग्यता के अनुसार हो। यदि यह पाया जाता है कि तलाकशुदा श्रेणी में ऐसे उम्मीदवार हैं जिन्होंने उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं, तो पहले उन्हें नियुक्ति का प्रस्ताव दिया जाएगा, और यदि कोई शामिल नहीं होता है, तो ही याचिकाकर्ता को उत्तरदाता संख्या 4 द्वारा रखी गई योग्यता सूची के क्रम में नियुक्ति की पेशकश की जाएगी।

8. मुझे ऐसा कोई कारण नजर नहीं आता कि उपरोक्त निर्णय का लाभ याचिकाकर्ताओं को क्यों नहीं दिया जाए।

9. तदनुसार इसका आदेश दिया जाता है।

10. इस प्रकार प्रत्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि वे रिक्तियों की उपलब्धता और याचिकाकर्ताओं के योग्य पाए जाने के अधीन याचिकाकर्ताओं की उम्मीदवारी पर विचार करें, उन्हें नियुक्तियों की पेशकश करने के लिए आगे के कदम उठाए जाएंगे, बशर्ते कि उनकी श्रेणी को तलाकशुदा से विधवा में बदलने के बाद रिक्तियां उपलब्ध हों।

(अरुण मोंगा), जे.

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" की सहायता से अनुवादक सुनील कुमार किया गया है ।

अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा मे समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा मे अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अँग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अँग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।